कार्यालय
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

निविदा फार्म

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. के मेन प्लांट के कोल्ड रूम में पफ् वॉल लगाने हेतू सिविल कार्यो के संपादन हेतू

ई–निविदा(द्वितीय आमंत्रण)

(निविदा फार्म का मूल्य रू0 1000/–) (निविदा फार्म क्र ——————)

कार्यालय – डेयरी प्लांट,हबीबगंज,भोपाल–462024 (म0 प्र0)
0755-2478250-51,52,53 - फेक्स,0755.2450896

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	आवरण पृष्ठ	01
2	अनुक्रमणिका	02
3	ई–निविदा सूचना विज्ञप्ति	03
4	अनुसूची प्रथम –निविदा कार्यक्रम एवं सामान्य निर्देश	04
5	अनुसूची द्वितीय –तकनीकी निविदा प्रपत्र –1	05
6	अनुसूची तृतीय –नियम शर्ते एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र – 2 (निविदा दर प्रस्ताव पत्रक सहित)	06 से 11
7	शेडयूल आफ आईटम्स	12 से 14
8	एम.पी.पी.डबल्यू.डी. का आदेश।	15
कुल पृष्ठ – 15		

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल।

डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल 462024 (म0 प्र0)
फोन नं. 0755 **- 2478250- 51,52,53**

निविदा सूचना क्र. 10220/ भो.स.दु.सं./यॉ.–सिविल– /2023 दिनांक. 06.11.2023

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. में मेन प्लांट के कोल्ड रूम में पफ् वॉल लगाने हेतू सिविल कार्य हेतु ई– निविदा द्वितीय आमंत्रण। तदानुसार ई–निविदा द्वितीय आमंत्रण दि. 20.11.2023 को दोपहर 3:00 बजे तक ऑन लाईन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब– साईट www.mptenders.gov.in पर डाउन लोड किया जा सकेगा। जो कि निम्नलिखत अनुसार है।

क्रं.	कार्य का विवरण।	निविदा प्रपत्र का मूल्य।	अमानत राशि **(EMD)**	कार्य की अनुमानित लागत। (लाखों में)
1	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. के मेन प्लांट के कोल्ड रूम में पफ् वॉल लगाने हेतू सिविल कार्य ।	रू1,000/–	रू 20,400/–	रू. 10.20 लाख

निविदा फार्म का मूल्य एंव अमानत राशि ऑन लाईन पर भुगतान की जाना है। निविदा की वैधता खुलने के बाद 90 दिन तक है। ऑन लाईन के माध्यम से निविदाकार को दिनांक– 20.11.2023 तक दोपहर 3:00 बजे तक लोक निर्माण विभाग के पंजीयन का प्रमांण पत्र एंव वांछित कागजात जमा करने हैं। प्राप्त निविदायें ऑन लाईन पर दिनांक– 21.11.2023 को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी। अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ., की वेब साइट www.sanchibhopal.com से प्राप्त की जा सकती है समस्त अथवा कुछ निविदाओं को अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल।

– अनुसूची प्रथम–
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
(सामान्य निर्देश)

1 निविदा सूचना क्रं. का विवरण – ई– निविदा (**द्वितीय** आमंत्रण) सूचना क्रं. .... /भो.स.दु.सं./यॉ–सिविल/......./2023 दि0 ....

2 निविदा फार्म का मूल्य – राशि रू0 1,000/– भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल।

3 **ई–निविदा द्वितीय आमंत्रण** दि0 20.11.2023 को दोपहर 3:00 बजे तक ऑन लाईन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब– साईट www.mptenders.gov.in पर डाउन लोड किया जा सकेगा। जो कि निम्नलिखत अनुसार है। निविदा फार्म का मूल्य एंव **अमानत राशि (EMD)** की राशि online के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब– साईट www.mptenders.gov.in पर ही जमा किया जायेगा।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. में मेन प्लांट के कोल्ड रूम में पफ् वॉल लगाने हेतू सिविल कार्य ।	रू. 20,400/– अमानत राशि **(EMD)**

4. कार्य का विवरण – भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. में मेन प्लांट के कोल्ड रूम में पफ् वॉल लगाने हेतू सिविल कार्य । कार्य की निविदा दरें ऑन लाईन के निर्धारित प्रोफार्मा पर भरनी हैं। निविदा दरें भरने से पूर्व निविदाकार को अनुसूची तृतीय के बिन्दु क्रं0 10 एंव 9–21 का अध्ययन किया जाना अनिवार्य है।

5. कार्य का मूल्य – रू. 10.20 लाख।

6. ऑन लाईन के माध्यम से निविदाकार को दिनांक– 20.11.2023 तक दोपहर 3:00 बजे तक अपने पंजीयन एंव वांछित कागजात जमा करने हैं।
7. प्राप्त निविदायें ऑन लाईन पर दिनांक– 21.11.2023 को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी।
8. अन्य विस्तृत जानकारी **एम.पी.सी.डी.एफ.**, की वेब साइट www.sanchibhopal.com से प्राप्त की जा सकती है।
9. समस्त अथवा कुछ निविदाओं को अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
10. सिविल कार्यों हेतु दरें **एम.पी.पी.डबल्यू.डी., के सन् 2020 से लागू एस.ओ.आर., के अनुसार** ऑन लाईन प्रोफार्मा पर भरनी है।

अनुसूची द्वितीय
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या0 भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या0 भोपाल।

विषयः— भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. में मेन प्लांट के कोल्ड रूम में पफ् वॉल लगाने के सिविल कार्यों हेतू ई—निविदा ।

ऑन लाईन के माध्यम से निविदाकार को दिनांक— 20.11.2023 तक दोपहर 3:00 बजे तक निम्नलिखित उल्लेखानुसार पंजीयन की प्रतिलिपि एंव वांछित कागजात जमा करने हैं।

(1) निविदाकार का नाम :— ———————————————————————
(2) पूरा पता :— ———————————————————————
(3) फोन नं0 / मोबाइल नं0 :— ———————————————
(4) लो0नि0विभाग म0प्र0 में पंजीयन व श्रेणी का विवरण :—
——
———————————————————

5. **PAN** का विवरण :— —————————————————

06. निविदाकार के जी.एस.टी. नंबर का विवरण :————————————————————
07. निर्माण कार्य अनुभव संबधी विवरण :—

क्र.	निर्माण कार्य का विवरण			कार्य आदेश जारीकर्त्ता विभाग का विवरण	
	कार्य का विवरण	लागत राशि	कार्य पूर्ण करने की दिनांक	विभाग का नाम	कार्यादेश क्र. / दिनांक.
1					
2					

(उपरोक्त विवरण के साथ ही सिविल कार्य के आदेश एवं चाहे गये प्रमाण पत्र ऑन लाईन के माध्यम से जमा करने हैं।

निविदा प्रपत्र में वर्णित दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्ते मुझे पूर्णतः मान्य है, व मेरे द्वारा प्रस्तावित कार्य व स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। उपरोक्तानुसार प्रदाय की गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि प्रस्तुत जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी निविदा निरस्त की जा सकती है, जिसके लिये मैं स्वंय जवाबदार रहूंगा।

स्थान—————— हस्ताक्षर निविदाकार

दिनांक—————— नाम——————

अनुसूची तृतीय
(नियम व शर्ते आदि)

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. में सिविल कार्य । पृष्ठ 12 से 14 पर दिये गये विवरण के अनुसार कार्य किया जाना है। लोक निर्मांण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार ऑन लाईन से निविदा जमा कर सकते हैं।

1 प्रस्तावित कार्य हेतु निर्धारित अमानत राशि रू0 20,400/— बगैर प्राप्त निविदा अमान्य मानी जावेगी। अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा। सफल निविदाकारों की अमानत राशि, आवंटित कार्य पूर्ण होने की दिनांक से 24 माह की अवधि में वापस की जावेगी।

2 सफल निविदाकार की अमानत राशि एंव सुरक्षा निधि की राशि कार्य पूर्णं होने के दो वर्ष पश्चात् कार्य की स्थिति देखते हुये वापिस की जायेगी।

3 सफल निविदाकार के प्रत्येक बिल में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि का कटौत्रा किया जायेगा।

4 निविदाकार यदि एम.पी.पी.डबल्यू.डी. एस.ओ.आर से 15 प्रतिशत नीचे से यदि और प्रतिशत कम रेट भरते हैं तो सफल निविदाकार को निविदा की कुल राशि का उतना प्रतिशत डी.डी. के रूप में दुग्ध संघ में जमा करना पड़ेगा और कार्य न करने की स्थिति में उनकी यह राशि अमानत राशि के साथ जब्त कर ली जावेगी। जैसे यदि वह 10 प्रतिशत एस.ओ.आर से नीचे रेट भरता है तो कुल निविदा राशि रूपये 100.00 लाख का 3 प्रतिशत रूपये 3,00,000/— जमा करने होंगे। इस स्थिति में भी यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी यदि भरी गई निविदा दर कार्य करने योग्य नहीं पाते हैं तो वे निविदा निरस्त करने का अधिकार रखते हैं।

(5) <u>सुरक्षा निधिः—</u>

5—1 कार्य के प्रत्येक चलित देयकों से 5% राशि सुरक्षा निधि के रूप में कटौत्रा की जावेगी। उक्त राशि आवंटित कार्य पूर्णता की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक दुग्ध संघ में जमा रहेगी तथा कार्य के संतोषजनक पाये जाने पर ही वापिस की जावेगी।

5—2 सुरक्षा निधि पर दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

(6) <u>डिफेक्ट लाएबिलीटी अवधि</u> **<u>(Defect Liability period)</u>**

6—1 डिफेक्ट लाएबिलीटी अवधि कार्य पूर्णता दिनांक से 2 वर्ष की अवधि होगी।

6—2 डिफेक्ट लाएबिलीटी अवधि में कार्यो में यदि किसी भी प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता हैं तो सफल निविदाकर्ता को पत्र/दूरभाष पर सूचना दिये जाने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में बताये गऐ डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का स्वयं के व्यय पर सुधार कार्य करना होगा।

6—3 निर्धारित समयावधि में बताये गऐ डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का सुधार कार्य पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी अन्य ऐजेन्सी/विभागीय स्तर से बताये गऐ डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का सुधार कार्य कराकर जमा सुरक्षा निधि व अमानत राशि से सुधार कार्य की राशि का समायोजन कर लिया जावेगा।

(7) <u>निर्माण कार्य अवधि —</u>

7—1 निर्माण कार्य हेतु निर्माण अवधि कार्य आदेश जारी होने की दिनाँक से 15 दिन है।

(8) <u>दर –</u>

8–1 निविदा प्रस्तुतकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत दर की वैधता निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस होगी, परन्तु यदि प्रस्तुत दरें अमान्य की जाती हैं तो पुनः निविदा जारी किये जाने की दिनांक से पूर्व दर वैधता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

8–2 निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर स्थिर होना चाहिये, साथ ही दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि तक दर की वैधता को ध्यान में रखकर प्रेषित करें।

(8) **(B)** <u>कार्य आदेश का निरस्तीकरण :–</u>

8–1 निर्माण कार्य का पूर्ण/अंश भाग निर्माणकर्ता द्वारा अन्य निर्माणकर्ता/ निर्माणकर्ताओं को,सबलेट (Sublet)नही किया जावेगा।
यदि यह पाया जाता है कि निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य का पूर्ण/अंश भाग सबलेट कि या गया है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8–2 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार निविदिाकार द्वारा नहीं–किया जाता है या दुग्ध संघ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सुधार कार्य दी गई समय–सीमा मे यदि पूर्ण नही किया जाता हैं तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8–3 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता हैं तथा निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं तो किसी भी समय कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8–4 निविदा की शर्तो का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(9) **सामान्य नियम व परिस्थितियाँ –**

9–1 निविदाकार का म.प्र. लोक निर्माण विभाग में पंजीयन आवश्यक है।

9–2 पार्टनरशिप की निविदा अमान्य होगी ।

9–3 निविदा में गलत पता व सही परिचय न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो सके तो इसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा दुग्ध संघ का नहीं।

9–4 निविदा खुलने के उपरांत निविदाकर्ता को निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में प्रेषित दरों के लिये निविदाकर्ता स्वयं जबाबदार होगा।

9–5 यदि कोई भी निविदाकर्ता इस निविदा में सम्मिलित होता है या निविदा प्रस्तुत करता है तो यह मान लिया जावेगा कि उसे निविदा की सभी शर्ते मान्य हैं। दुग्ध संघ द्वारा निविदाकर्ता की कोई भी शर्ते मान्य नहीं की जावेगी। यदि कोई नवीन अतिरिक्त कार्य कराना आवश्यक हो तो निविदाकार स्वीकृत निविदा दर पर ही कार्य करने के लिये बाध्य होगा।

9–9 सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा निर्माण कार्य आदेश जारी होने की दिनाँक से 7–दिवस की समय सीमा में निविदा नियमों, शर्तो का समावेश करते हुये रु0 1000/– के, नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा । निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने पर जारी निर्माण कार्य आदेशनिरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।

9–10 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार किया जावेगा । यदि निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों अनुसार नही पाया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा, तथा क्षतिपूर्ति की राशि जमा अमानत राशि /सुरक्षा निधि से वसूल की जावेगी ।

9–11 प्रपत्र –3 में उल्लेखित निर्माण कार्य को पूर्णतः/आंशिक रूप से कराये जाने/लंबित रखने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा तथा दिये गये निर्देशानुसार कम या ज्यादा कार्य करने हेतु निर्माणकर्ता बाध्य होंगे। उल्लेखित कार्य अधिक/अन्य कार्य कराये जाने – पर दरें निविदा में स्वीकृत दर अनुसार रहेगी/एस0ओ0आर0 में वर्णित अनुसार अन्य आईटम का कार्य कराये जाने की स्थिति में स्वीकृत दर अनुसार भुगतान किया जावेगा।

9–12 दुग्ध संघ द्वारा नियुक्त तकनीकी सलाहकार द्वारा कार्य हेतु डिज़ाईन दी जायेगी एंव कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा। अन्य जानकारी बाद में दी जायेगी।

9–13 निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत चलित देयकों/अंतिम देयकों से नियमानुसार आयकर, सुरक्षा निधि आदिका कटौत्रानियमानुसार किया जावेगा, अन्य कर यथा वाणिज्य कर, रायल्टी, आदि जो शासन आदि को देय होंगे निविदाकार द्वारा स्वयं जमा किये जावेगें। इस हेतु दुग्ध संघ जबावदार नही होगा।

9–14 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा यदि किसी भी समय कार्य आदेश निरस्त किया जाता है तो निरस्ती आदेश जारी होने की दिनांक से 7 दिवस की समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व मशीनरी निर्माणकर्ता को हटाना अनिवार्य होगा । निर्धारित समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व मशीनरी न हटाये जाने की स्थिति में निर्माण सामग्री व मशीनरी के नुकसान हेतु दुग्ध संघ जबावदार नही होगा।

9–15 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा कार्य आदेश निरस्त किये जाने पर किये गये निर्माण कार्य की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा जमा सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर ली जावेगी।

9–16 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता हैं तो चलित देयकों से 10 प्रतिशत की राशि **Liquidated Damage** के रुप में कटौत्रा की जावेगी तथा कार्य पूर्णता पर अंतिम देयक से **Liquidated Damage** की राशि कटौत्रा के निर्धारण का अधिकार मुख्यकार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल का होगा तथा इस संबध में लिया गया निर्णय निर्माणकर्ता ठेकेदार मानने हेतु बाध्य होगें।

9–17 निर्माण कार्य के दौरान श्रम नियम, लेबर इंश्यूरेंस एवं अन्य वैद्यानिक दायित्वों के निर्वाहन की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी ।

9–18 निविदाओं में उचित दर प्राप्त नहीं होने पर दर के निर्धारण हेतु न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता/निविदाकर्ता को निगोशियेशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस हेतु पृथक से तिथि/समय सूचित की जावेगी।

9–19 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल को पूर्ण अधिकार है कि वे बिना कारण सूचित किये एक अथवा समस्त निविदाओ को पूर्णतः/आंशिक रुप से मान्य/अमान्य कर सकते हैं।

9—20 कार्य का भुगतान वास्तविक किये गये कार्य की नाप से होगा कार्य की मात्रा में या तरीके में परिवर्तन हो सकता है। जिसका भुगतान निविदा की स्वीकृत दर पर निविदाकार को किया जाएगा।

9—21 निविदाकार को निम्न प्रमांण पत्र निविदा के साथ ऑन लाईन पर जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा उसकी निविदा निरस्त हो सकती हे।
(i) EPF पंजीयन
(ii) ESIC पंजीयन
(iii) पिछ्ले तीन साल की ऑडिट बेलेंस शीट।
(iv) पिछले पॉच सालों में कम से कम कुल रू. 50.00 लाख के कार्य के प्रमांण पत्र जिसमें कार्यादेश एंव कार्य कम्पलीशन प्रमांण पत्र आवश्यक है।
(v) ज्वाईंट वेंचर मान्य नहीं होगा।

9–22 कृपया ई–निविदा दर देने के पूर्व कंडिका क्रं. 9–26 का अवलोकन करने हेतू निर्देशित है।

9–23 कार्य के दौरान ठेकेदार के श्रमिक को किसी प्रकार की हानि जैसे– चोट लगना या दुर्घटना की स्थिति में दायित्व ठेकेदार का रहेगा। सफल निविदाकार को सामूहिक श्रमिक दुर्घटना बीमा कराना होगा। ठेकेदार को निर्धारित समय सीमा में कार्य संपादित करना होगा तथा संघ द्वारा प्रदत्त कार्य की डिजाईन के अनुसार ही संपादित करना होगा निर्माण कार्य में सभी उपयोग की जाने वाली सामग्री ठेकेदार को स्वंय लगाना होगा व्यवस्था किया जाना जैसे रेंत,गिटटी सीमेंट,लोहा,जल,बिजली टूल्स आदि।

9–24 कार्य का स्तर उत्तम होना अपेक्षित है। यद्यपि कार्य का शेडयूल आफ आईटम्स पृष्ठ क्रं0 12 से 14 पर दिया गया है। लेकिन कार्य का बिल ठेकेदार द्वारा किये गये वास्तविक कार्य के माप के अनुसार ही बनेगा। कार्य की निविदा दरें भरने से पूर्व अनुसूची तृतीय का बिन्दु क्रं0 10 एंव 9–21 का अध्ययन अच्छे से किया जाना निर्देशित है।

9–25 यदि कार्य एस.ओ.आर में सम्मिलित नहीं है तो मार्केट दरों का निरीक्षण कर उनके अनुसार कार्य निविदाकार से सम्पादित कराये जायेंगे।

9–26) निविदाकार निविदा दर भरने से पूर्व स्थल का निरीक्षण कर सकते है। निविदा दर प्रस्तुत करने पर यह माना जायेगा कि उन्होने कार्य स्थल का निरीक्षण भली भॉति करके निविदा दर भरी है। सशर्त निविदा मान्य नही की जायेगी।

9–27

निर्माण कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र आवंटित निर्माण कार्यो के संतोषजनक पूर्ण होने पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा विभागीय इंजीनियर की अनुशंसा पर जारी किया जावेगा ।

9–28 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सर्शत निविदा अमान्य मानी जावेगी।

9–29 उक्त निविदा के कार्य अन्य स्थान, जिले एंव शहर के लिये मान्य नहीं होंगे।

(10) निविदा के दर भरने के पूर्व अति महत्वपूर्ण सूचना –

10–1 प्रायः यह देखा गया है, कि ठेकेदार अपनी निविदा उचित दर से भी न्यूनतम दर पर भरते हैं। यह प्रतियोगिता की दृष्टि से बाध्य हो कर किया जाता है। जिससे कार्य का स्तर उत्तम नहीं रह पाता है।

अतः उक्त बिन्दुओं को देखते हुये ठेकेदार बिना किसी दवाब के एंव होशोहवास में उक्त निविदा कार्य हेतू अपनी निविदा दरें ऑन लाईन प्रोफार्मा पर सन् 2020 से जारी एम.पी.पी.डबल्यू.डी., एस.ओ.आर. की दरों से ऊपर /नीचे प्रतिशत भरें। जिससे उन्हें बाद में कार्य करने में कोई कठिनाई न हो।

(11) विवादास्पद स्थिति में अंतिम निर्णय –

11–1 यदि निविदाकर्ता/निर्माणकर्ता या दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद होता है तो वाद आर्बीट्रेशन हेतु,एम.पी.सी.डी.एफ.,केप्रबंध संचालक को संदर्भित किया जावेगा एवं उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एण्ड कॉन्शिलेशन अधिनियम 1996 के अंतर्गत संदर्भित होगी।

11–2 सभी प्रकार के विवादों हेतु न्यायालयीन क्षेत्राधिकार ''भोपाल'' होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,भोपाल।

निविदा दर प्रस्ताव पत्रक

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित.,
भोपाल।

महोदय,

आपके द्वारा जारी ई–निविदा द्वितीय आमंत्रण सूचना क्रं........./भो.स.दु.सं./यां0–सिविल/....................../23 दिनांक................ के संदर्भ में निमार्ण कार्य हेतु मैं/हम अपनी दर निम्नानुसार प्रेषित करते हैं मेने/हमने आपके द्वारा प्रेषित नियम व शर्ते भली भांती पढ़ व समझली है तथा मुझे/हमे मान्य है एवं इसके परिपालन हेतु हम बाध्य है।

	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रू. लाख में	धरोहर राशि का विवरण (ऑन लाईन से जमा करना है।)	निविदा हेतु भरी जाने वाली दर
	2	3	4	5
	भोपाल सह. दुग्ध संघ मर्या., में मेन प्लांट के कोल्ड रूम में पफ् वॉल लगाने के सिविल कार्य हेतु पृष्ठ क्रं0 12 से 14 पर दिये गये शेड्यूल आफ आईटम्स के विवरण के अनुसार। कृपया निविदादर ऑन लाईन पर भरने के पूर्व अनुसूची तृतीय के बिन्दु क्रं0 10 एंव 9–21 का अध्ययन भलीभॉती किया जाना अपेक्षित है।	रू. 10.20 लाख	रू. 20,400/–	**M.P.P.W.D S.O.R** प्रभावी दिनांक –01.12.2020 के अनुसार ....**%** शब्दो में...) कम/अधिक/समान (जो लागू न हो उसे काट दें)

नोट :– निविदाकार को अपनी निविदा दरें ऑन लाईन पर दिये गये प्रोफार्मा में भरनी है।

निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर

नाम– ....

पता/ मो.नं–..
....
....

PUFF WALL IN COLD ROOM NO. 2

S.NO.		PARTICULARS OF ITEAMS	NO.	QTY	UNIT		
1		Dismantling old plaster or skirting raking out joints and cleaning the surface for plaster including disposal of rubbish to the dumping ground within 50 metres lead.					
2	**24.15.1.1**	Providing and fixing PUF insulated continuous sandwich panels for wall of total thickness not less than 50 mm or 40mm (as specified) and width 1.0m, made out from continue line method on automatic plant. Panel shall have pre coated GI sheet on both side of Polyurethane foam confirming to IS 12436:1988. The precoated sheet shall be of minimum 240 mpa steel grade confirming to IS 14246:1995 and shall have zinc coating of minimum 120 gsm as per IS:277, 5-7 microns epoxy primer on both side of the sheet and polyester top coat 15-18 micron. The PPGI Sheet shall have plastic protective guard film of minimum 25 microns to avoid scratches PPGI sheet 0.5mm thick skin on both sides		238.20	Sqm		

3	5.16.6	Reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding including cost of binding wire all wastages and overlaps, couplers (overlaps shall be provided as per requirement of IS 13920 for Thermo-Mechanically Treated bars. (TMT/TMX) FE 500 or more conforming to IS 1786	1	180.00	Kg		
4	5.1.1	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete (with 20mm nominal size graded stone aggregate) excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level :					
		Rcc wall in puff wall	1	4.50	sqm		
5	11.35	Kota stone slab flooring over 20 mm (average) thick base laid over and jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slab including rubbing and polishing complete with base of cement mortar 1 : 4 (1 cement : 4 sand) 25 mm thick.(Area of slab to be over 0.25 sqm)	1	25	Sqm		

		(14)					
6	5.1	Point wiring (excluding metallic switch box & sheet but including switches, sockets, lamp holders/ceiling roses etc) with 1.5sq. mm. PVC insulated cable FRLS with copper multi strand conductor ISI marked in Surface rigid P.V.C. casing and caping ISI marked of suitable size and 1.5sq. mm. PVC insulated FRLS copper					
		Light Point/ Fan Points.					
	5.1.1	Short point	1	2	Each		
	5.1.1.2	Medium point	1	2	Each		
	5.1.1.3	Long point	1	3	Each		
7	5.3	Wiring for circuit wiring with PVC insulated cable FRLS with copper multi strand conductor ISI marked in Surface rigid P.V.C. casing and caping of ISI marked suitable size etc. as required as per specification					
		2x2.5 Sq.mm.	1	12	Mtr		
		4x2.5 Sq.mm.	1	22	Mtr		
		6x2.5 Sq.mm.	1	9	Mtr		
8	31.11.4	Supplying and fixing flood light with high power LED of 3 to 6 Watt each assembled on single MCPCB and additional unique peanut lens on each LED, system lumens output with efficacy>120 lm/Watt. luminiare having color temp upto 6500K & 50000 hrs. burning life with minimum @ L 70, The colour rendering index of LED light should be more than 70. Luminiare comprises of driver, PF > 0.95 & surge protection 10KV.	1	6.00	Each		
9	Non Sor	cold Room Door	2		L.S.		
							864385
	In Net Total Addition of 18% GST						155589
				Grand Total			1019975

Say Rs. 10.20 Lakhs

नोट :– कार्य की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन हो सकता है।

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
भोपाल

क्रमांक एफ 53/15/17/19/यो /3882 भोपाल दिनांक 31/10/2022

— आदेश —

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन नम्बर 03/2022 सेंट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 13.07.2022 के द्वारा पूर्व मे जारी नोटिफिकेशन नम्बर 11/2017 सेंट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 28.06.2017 मे संशोधन करते हुये वर्क्स कान्ट्रेक्ट सर्विसेस में जी0एस0टी0 की प्रचलित दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत दिनांक 18.07.2022 से लागू किया जाना प्रभावशील किया गया है। म0प्र0शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जी0एस0टी0 के संबंध मे जारी आदेश दिनांक 05.08.2017 के अनुक्रम मे जी0एस0टी0 की वर्क्स कान्ट्रेक्ट कंस्ट्रक्शन सर्विसेस के लिये पूर्व से प्रचलित दरे 6% (CGST) + 6% (SGST) = 12% लागू रही है।

भारत सरकार द्वारा वर्क्स कान्ट्रेक्ट कंस्ट्रक्शन सर्विसेस के लिये दिनांक 18.07.2022 से जी0एस0टी0 की नवीन दरे 9% (CGST) + 9% (SGST) = 18% प्रभावशील कर दी गई है। इसी अनुक्रम मे कार्य के देयक भुगतान के समय जी0एस0टी0 की दर देयक पर लागू किये जाने अर्थात देयक भुगतान करते समय जो वेल्यू ऑफ वर्कडन मे सामग्रि की मात्रा सम्मिलित है जिससे कि कार्य कराया जाकर तदानुसार मापपुस्तिका मे माप अंकित किये गये है, उन सामग्रियो के देयको जो ठेकेदार द्वारा सामग्रियो के कार्य मे खपत के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किये जाते है, उन पर जो जी0एस0टी0 की दर लागू की गई है उन सामग्रियों के देयको एवं कार्य किये जाने के माप पुस्तिका में अंकित दिनांक सहित माप के अनुसार दोनों का समग्र रूप से आंकलन करते हुए उक्त प्रक्रिया में दिनाक 18.07.2022 के पूर्व कराये गये कार्य एवं दिनांक 18.07.2022 के पश्चात कराये गये कार्य मे जी0एस0टी0 के भुगतान बावत गणना के लिए निम्नानुसार उल्लेखित कार्य स्थति अनुरूप दरें निर्धारित की जाती है:-

स. क.	निर्माण कार्य का दिनांक 18.07.2022 के पूर्व किया जाना	किये गये कार्य के देयक दिनांक 18.07.2022 के पूर्व भुगतान योग्य होना	किये गये कार्य का दिनांक 18.07.2022 के पूर्व भुगतान किया जाना	जी0एस0टी की लागू दर
1	2	3	4	5
1	हॉं	नही	नही	18%
2	हॉं	हॉं	नही	12%
3	हॉं	नही	हॉं	12%
4	नही	हॉं	हॉं	12%
5	नही	हॉं	नही	18%
6	नही	नही	हॉं	18%

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
31.10.2022